



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102024-257885
CG-DL-E-15102024-257885

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 582]

नई दिल्ली मंगलवार, अक्टूबर 15, 2024/ आश्विन 23, 1946

No. 582]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2024/ ASHVINA 23, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2024

सा. का. नि.638(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv), उपखंड (v) और उपखंड (vi), धारा 10 के खंड (23ग) के पहले और दूसरे परंतुक और धारा 80छ की उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii), खंड (iii) और खंड (iv) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये 1 अक्टूबर, 2024 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आयकर नियम, 1962 में, परिशिष्ट-II में,-

(क) प्ररूप सं. 10क में,-

(i) शीर्ष में, "2ग /" अंको और अक्षर का लोप किया जाएगा;

(ii) सारणी के नीचे और "प्ररूप सं. 10क भरने के लिए टिप्पण" शीर्ष से पहले, "मैं, पुत्र/पुत्री" से प्रारंभ होने वाले शब्दों और अंको और "(जो भी लागू नहीं हो उसे हटा दे)" शब्दों और कोष्ठकों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"मैं _____, पुत्र/पुत्री _____ घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि प्ररूप में दिए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

मैं न्यास/सोसायटी/गैर-लाभकारी कंपनी के निबंधनों में या संस्था को शासित करने वाले नियमों में, इसके पश्चात् किसी भी समय किए गए किसी परिवर्तन को सूचित करने का वचन देता हूँ/देती हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं इस प्ररूप को _____ (पदनाम) के रूप में फाईल कर रहा /रही हूँ, जिसका स्थायी खाता संख्या (पैन) _____ है और मैं इस प्ररूप को फाईल करने और इसे सत्यापित करने में सक्षम हूँ।

तारीख:

हस्ताक्षर

(केवल धारा कोड 2 के लिए लागू)

मैं यह और वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं धारा कोड 2 के अधीनत रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रहा /रही हूँ और _____ (संस्था, न्यास या निधि का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या (पैन) _____ है, के क्रियाकलाप इस आवेदन को करने की तारीख को या उससे पहले प्रारंभ नहीं हुए हैं।

तारीख:

हस्ताक्षर";

(iii) "प्ररूप संख्या 10क भरने के लिए टिप्पण" शीर्ष के अधीन,-

(I) क्रम संख्या 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. धारा 12क/80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन, पंक्ति 2 में निम्नलिखित में से किसी एक कोड का चयन करें:

1	धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) का उपखंड (i)	01
2	धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (vi) की मद (क)	02
11	धारा 80क की उपधारा (5) के पहला परंतुक का खंड (i)	11
12	धारा 80क की उपधारा (5) के पहला परंतुक के खंड (iv) का उपखंड (क)	12

(II) क्रम संख्या 7 में, सारणी में, सुसंगत विधि/पोर्टल "आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के खंड (iv)/ खंड (v)/ खंड (vi)/ खंड (vik) के अधीन रजिस्ट्रीकरण" की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के खंड (iv)/ खंड (v)/ खंड (vi)/ खंड (vik) के अधीन रजिस्ट्रीकरण	02	आज्ञापक	अनुमोदन प्रदान करने वाले आदेश की संख्या	आदेश की तारीख	आय-कर प्राधिकारी, जिसने रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया है, की अधिकारिता के ब्यौरे प्रदान किए जाए	पूर्व वर्ष की पहली तारीख जिससे अनुमोदन प्रभावी है";
--	----	---------	---	---------------	--	---

(3) क्र. सं. 10 में,-

(क) मद (क) में, "या 07 या 08 या 09 या 10" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) मद (ख) में, ", 03 या 04 या 05 या 06" अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(4) क्र. सं. 12 में, सारणी में,-

(क) धारा कोड 02 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"02	<ul style="list-style-type: none"> • जहां लिखत के अधीन, आवेदक सृजित किया जाता है या स्थापित किया जाता है, वहां लिखत की स्व-प्रमाणित प्रति ; • जहां लिखत के बिना, आवेदक सृजित किया जाता है या स्थापित किया जाता है, वहां आवेदक के सृजन या स्थापन को साक्षित करने वाले दस्तावेज की स्व-प्रमाणित प्रति ; • यथास्थिति, कंपनी रजिस्ट्रार या फर्म और सोसाइटी रजिस्ट्रार या लोक न्यास रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति ; • विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010(2010 का 40) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति, यदि आवेदक ऐसे अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; • जहां आवेदक ऐसे वित्त वर्ष से पहले किसी वर्ष या वर्षों के दौरान अस्तित्व में रहा है जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, वहां ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो ऐसे वर्ष, जिसमें उक्त आवेदन किया जाता है, से ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अधिक नहीं है) जिनके लिए ऐसे लेखाओं का मिलान किया गया है, से संबंधित न्यास या संस्था के वार्षिक लेखाओं की स्व-प्रमाणित प्रतियां ; • जहां कारबारी उपक्रम धारा 11 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार आवेदक द्वारा धारित किया जाता है और उस वित्तीय वर्ष, जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, वित्तीय वर्ष से पूर्व किसी वर्ष या वर्षों के दौरान आवेदक अस्तित्व में रहा है, वहां ऐसे पूर्व वर्ष या वर्षों (जो उस वर्ष, जिसमें उक्त आवेदन किया जाता है, से ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अधिक का नहीं है) जिसके लिए लेखाओं का मिलान किया गया है, से संबंधित ऐसे कारबारी उपक्रम के वार्षिक लेखाओं की स्व-प्रमाणित प्रतियां और ऐसी अवधि के लिए धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की स्व-प्रमाणित प्रति ; • यथास्थिति, धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए या धारा 10(23ग) के अधीन अनुमोदन, यदि कोई हो, के लिए आवेदन के नामंजूर करने के आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति ;";
-----	--

(ख) धारा कोड "03/04/05/06" और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) धारा कोड "07/08/09/10" और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(घ) धारा कोड "1,3,4,5,6,11" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा ; अर्थात् :-

"1, 11	<ul style="list-style-type: none"> • जहां आवेदक के पास पूर्व में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन प्रमाणपत्र नहीं है, वहां स्व-प्रमाणित शपथपत्र ।"।
--------	---

(ख) प्ररूप सं. 10कख,-

(i) शीर्षक में, "2ग या" अंक, अक्षर और शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) सारणी के नीचे और "प्ररूप सं. 10कख भरने के लिए टिप्पण" शीर्षक से पहले, "मैं.....,पुत्र/पुत्री" शब्दों और अंको से आरंभ होने वाले और "(जो लागू न हो उसे काट दें)" शब्दों और कोष्ठकों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"मैं.....,पुत्र/पुत्री..... यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्ररूप में दिए गए व्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

मैं न्यास/सोसाइटी/गैर लाभकारी कंपनी के निबंधनों में या संस्था को शासित करने वाले नियमों में इसके पश्चात् किसी भी समय किए किसी भी परिवर्तन को तुरन्त सूचित करने का वचनबंध करता/करती हूँ। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस प्ररूप को.....(पदाभिधान) के रूप में अपनी हैसियत से फाइल कर रहा/रही हूँ, मेरा स्थायी खाता संख्या (पैन) है और मैं इस प्ररूप को फाइल करने के लिए और इसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ।

तारीख:

हस्ताक्षर

(केवल धारा कोड 4क के लिए लागू)

में यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं तारीख/मास/वर्ष में क्रियाकलाप आरंभ करने पर धारा कोड 4क के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ और यह भी कि..... (संस्था, न्यास या निधि का नाम) जिसका स्थायी लेखा संख्यांक (पैन)..... है, की कोई आय या उसका कोई भाग ऐसे क्रियाकलापों के प्रारंभ के पश्चात् किसी भी समय तारीख/मास/वर्ष को इस आवेदन के करने की तारीख को या इसके पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (vi)क या धारा 11 या धारा 12 के लागू होने के कारण कुल आय से अपवर्जित नहीं किया गया है।

तारीख:

हस्ताक्षर";

(iii) "प्ररूप सं. 10कख भरने के लिए टिप्पण" शीर्षक के अधीन, क्रम सं. 2 में, सारणी में, संख्यांक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12क, 12ख, 12ग, 12घ और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 111/2024/फा. सं. 370142/20/2024-टीपीएल]

सौरभ जैन, अवर सचिव

स्पष्टात्मक ज्ञापन: यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी है। तदनुसार, यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 309(अ), तारीख 4 जून, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2024

G.S.R.638(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-clauses (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A, first and second provisos to clause (23C) of section 10, clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of the first proviso to sub-section (5) of section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement: - (1) These rules may be called the Income-tax Amendment (Seventh Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall be deemed to have come into force from the 1st day of October, 2024.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in Appendix-II,—

(a) in Form No. 10A,—

(i) in the heading, the figure, letter and word “2C or” shall be omitted;

(ii) below the table and before the heading “Notes to fill Form No. 10A”, for the portion beginning with the words and figures “I, son/daughter of” and ending with the words and brackets “(strike whichever is inapplicable)”, the following shall be substituted, namely:—

“I _____, son/daughter of _____, hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake to communicate forth which any alteration in the terms of the trust/society/nonprofit company, or in the rules governing the Institution, made at any time hereafter. I also declare that I am filing this form in my capacity as _____ (designation) having permanent account number (PAN) _____ and that I am competent to file this form and verify it.

Date:

Signature

(Applicable only for section code 2)

I further undertake that I am applying for registration under the section code 2 and the activities of the _____ (Name of the institution, trust or fund) having permanent account number (PAN) _____ have not commenced on or before the date of making this application.

Date:

Signature.”;

(iii) Under the heading “Notes to fill Form No 10A”,—

(I) for the serial number 2, the following shall be substituted, namely:-

“2. Application for registration under section 12A/80G select one of the following code in row 2:

1	Sub-clause (i) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A	01
2	Item (A) of sub-clause (vi) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A	02
11	Clause (i) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	11
12	Sub-clause (A) of clause (iv) of first proviso to sub-section (5) of section 80G	12

(II) in serial number 7, in the table, for entries at Relevant Law/Portal “Registration u/s 10(23C) clause (iv)/(v)/(vi)/(via) of Income-tax Act, 1961”, the following shall be substituted, namely:-

“Registration u/s 10(23C) clause (iv)/(v)/(vi)/(via) of Income-tax Act, 1961	02	Mandatory	Number of Order granting approval	Date of Order	Jurisdiction details of the Income-tax Authority which granted the registration is to be provided	First date of the previous year from which the approval is effective”;

(III) in serial number 10.,—

(A) in item (a), the figures and word “07/08/09/10 or” shall be omitted;

(B) in item (b), the figures “, 03/04/05/06” shall be omitted;

(IV) in serial number 12, in the table,—

(A) for Section code 02 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“02	<ul style="list-style-type: none"> where the applicant is created, or is established, under an instrument, self-certified copy of the instrument; where the applicant is created, is established, otherwise than under an instrument, self-certified copy of the document evidencing the creation or establishment of the applicant; self-certified copy of registration with Registrar of Companies or Registrar of Firms and Societies or Registrar of Public Trusts, as the case may be; self-certified copy of registration under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010), if the applicant is registered under such Act; where the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of the trust or institution relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up; where a business undertaking is held by the applicant as per the provisions of sub-section (4) of section 11 and the applicant has been in existence during any year or years prior to the financial year in which the application for registration is made, self-certified copies of the annual accounts of such business undertaking relating to such prior year or years (not being more than three years immediately preceding the year in which the said application is made) for which such accounts have been made up and self-certified copy of the report of audit as per the provisions of section 44AB for such period; self-certified copy of order of rejection of application, for grant of registration under section 12A or section 12AA or section 12AB or the approval under section 10(23C), as the case may be, if any;”;
-----	---

(B) Section code “03/04/05/06” and entries relating thereto, shall be omitted;

(C) Section code “07/08/09/10” and entries relating thereto, shall be omitted;

(D) for Section code “1, 3, 4, 5, 6, 11” and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“1, 11	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Self-certified Affidavit where the applicant does not have earlier issued registration or approval certificate.”.</i>
--------	--

(b) in Form No. 10AB,—

- (i) in the heading, the figure, letter and word “2C or ” shall be omitted;
- (ii) below the table and before the heading “Notes to fill Form No. 10AB”, for the portion beginning with the words and figures “I _____, son/daughter of” and ending with the words and brackets “(strike whichever is inapplicable)”, the following shall be substituted, namely:-

“I _____, son/daughter of _____, hereby declare that the details given in the form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

I undertake to communicate forth with any alteration in the terms of the trust/society/non-profit company, or in the rules governing the Institution, made at any time hereafter. I further declare that I am filing this form in my capacity as _____(designation) having permanent account number (PAN) _____ and that I am competent to file this form and verify it.

Date:

Signature

(Applicable only for section code 4A)

I further undertake that I am applying for registration under the section code 4A having commenced activities on dd/mm/yyyy and also that no income or part thereof of the _____ (Name of the institution, trust or fund) having permanent account number (PAN) _____ has been excluded from the total income on account of applicability of sub-clause (iv) or sub-clause (v) or sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10 or section 11 or 12 for any previous year ending on or before the date of making this application on dd/mm/yyyy, at any time after the commencement of such activities.

Date:

Signature.”;

- (iii) Under the heading “Notes to fill Form No. 10AB”, in serial number 2, in the table, the numbers 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C, 12D and the entries relating thereto, shall be omitted.

[Notification No. 111/2024/ F.No.370142/20/2024-TPL]

SOURABH JAIN, Under Secy.

Explanatory Memorandum: This amendment is effective from 1st day of October, 2024. Accordingly, it is hereby certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to these rules.

Note. - Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, PartII, section 3, sub-section (ii), vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended vide notification number G.S.R. 309(E), dated 4th June, 2024.